तारीख हुक्म	हुक्म का...
10/04/23	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थिया उप. विपक्षीगण के समन वकील प्रार्थिया ने विपक्षीगण की रसीदें डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश की। रसीदें शामिल पत्रावली की गयी। विपक्षीगण अनुपस्थित। बार विपक्षीगण को कोई समय देने बाद तीन-तीन आवाजें दिलाई गयी बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थिया के बहस सुनी गयी। आदेश अलग से लिखवाकर खुले न्यायालय सुनाया गया आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जाकर पत्रावली नियमानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 01/2023

प्रार्थीगण :–

1. पूनमाराम पुत्र भोमाराम
2. लालाराम पुत्र भोमाराम
3. दलाराम पुत्र भोमाराम
   जाति जाट निवासी पूंजाबेरी, पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. पाबूराम पुत्र हमाराम
2. मिश्राराम पुत्र हकाराम
3. मूलीदेवी पत्नी रूपाराम
   जाति भील निवासी पूंजाबेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. छोगाराम पुत्र किसनाराम
5. चूनाराम पुत्र मंगलाराम
   जाति जाट निवासी पूंजाबेरी, पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री मदनलाल अधिवक्ता प्रार्थीगण**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 10.04.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मदनलाल की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा पूंजाबेरी पटवार क्षेत्र पीपराली तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 34 रकबा 4.5891 हैक्टेयर किस्म बा.सो. का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र पीपराली के राजस्व ग्राम पूंजाबेरी के खेत खसरा नम्बर 34 रकबा 4.5891 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10/4/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी